कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

नं. मु. :– 08 / 2024

निर्णय दिनांक :– 27/3/2025

1. धम सिंह पुत्र अर्जुन सिंह उम्र 74 वर्ष जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

..... प्रार्थी

बनाम

1. कमला पत्नी छोटू सिंह जाति रावणा राजपूत निवासीनी ग्राम सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. धापू पुत्री छोटू सिंह जाति रावणा राजपूत निवासीनी ग्राम सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3. भैरू सिंह पुत्र रूघ सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
4. भंवरी पुत्री रूघ सिंह जाति रावणा राजपूत निवासीनी ग्राम सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
5. भंवरी कंवर पुत्री छोटू सिंह जाति रावणा राजपूत निवासीनी ग्राम सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
6. भवानी सिंह पुत्र छोटू सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
7. भागीरथ सिंह पुत्र रूघ सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
8. मैना पुत्री रूघ सिंह जाति रावणा राजपूत निवासीनी ग्राम सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
9. महावीर सिंह पुत्र छोटू सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
10. मान सिंह पुत्र रूघ सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
11. रूपी पुत्री रूघ सिंह जाति रावणा राजपूत निवासीनी ग्राम सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

...मी पुत्री रूघ सिंह जाति रावणा राजपूत निवासीनी ग्राम सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

13. श्रवण सिंह पुत्र छोटू सिंह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
14. सायर कंवर पुत्री छोटू सिंह जाति रावणा राजपूत निवासीनी ग्राम सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
15. शारदा पुत्री छोटू सिंह जाति रावणा राजपूत निवासीनी ग्राम सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
16. सुमन पुत्री रूघ सिंह जाति रावणा राजपूत निवासीनी ग्राम सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
17. सीता कंवर पुत्री छोटू सिंह जाति रावणा राजपूत निवासीनी ग्राम सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बीदासर (चूरू)

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

उपस्थित :–

1. अरविन्द चौधरी व लालचन्द जाट एडवोकेट वास्ते प्रार्थी
2. पैरोकार राज वास्ते अप्रार्थी संख्या 18

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 17 के संयुक्त खातेदारी का एक खेत रोही ग्राम तेहनदेसर तहसील बीदासर में खेत खाता नम्बर नया 383, पुराना 377, खसरा संख्या 297 तादादी 8.0558 हेक्टेयर रोही ग्राम तेहनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जो प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत है। जिसकें खातेदारी रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम घमण्ड सिंह पुत्र अर्जुन सिंह अंकित है। जबकी प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम धम सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति रावणा राजपुत निवासी ग्राम सड्डु बड़ी है। प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक भारतीय स्टैट बैंक शाखा कातर छोटी, में प्रार्थी का नाम धम सिंह पुत्र अर्जुन सिंह अंकित है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम घमण्ड सिंह पुत्र अर्जुन सिंह व अन्य समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम धम सिंह पुत्र अर्जुन सिंह होने के कारण प्रार्थी को बैंक ऋण लेने व सरकारी योजना का अनुदान प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व रेकार्ड में अपना नाम घमण्ड सिंह पुत्र अर्जुन सिंह की जगह अपना सही एंव शुद्व नाम धम सिंह पुत्र अर्जुन सिंह का संशोधन कराये। प्रार्थी का गलत चला आ रहा नाम राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही तेहनदेसर तहसील बीदासर में स्थित है। इसलिए प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार श्रीमान्जी के न्यायालय को प्राप्त है आदि आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 17 को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 17 ने समन तामिल होने के बावजूद भी न्यायालय हाजा में उपस्थित नही आये ना ही अपने प्रतिनिधी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब पेशं किया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ता 17 कि पूर्ण संज्ञान के बावजुद अनुपरिथती के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 17 के विरूद्व प्रकरण मे एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 17 की जवाब देही का अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 18 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार बीदासर ने अपना लिखित मे जवाब पेश किया जिसमें प्रार्थी का नाम शुद्व किया जाना उचित बताया है। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, व बैंक पास बुक आदि में प्रार्थी का नाम धम सिंह पुत्र अर्जुन सिंह अंकित है जबकी राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम घमण्ड सिंह पुत्र अर्जुन सिंह अंकित है। हमनें पत्रावली का भलीभांति ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रेकार्ड में नाम शुद्वी से सम्बन्धित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, व बैंक पास बुक आदि में प्रार्थी का नाम धम सिंह पुत्र अर्जुन सिंह अंकित है जबकी राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम घमण्ड सिंह पुत्र अर्जुन सिंह अंकित है जिसको प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों के आधार पर शुद्व किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों की विवेचना के आधार पर रोही ग्राम तेहनदेसर के खाता नम्बर नया 383, पुराना 377, खसरा संख्या 297 तादादी 8.0558 हेक्टेयर में प्रार्थी का नाम घमण्ड सिंह पुत्र अर्जुन सिंह को संशोधित किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी का दस्तावेजी शुद्व एंव सही नाम धम सिंह पुत्र अर्जुन सिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 27/3/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर